स्वयं परिवर्तन के वाहक बनें | सीखने का एक अभियान

रोनिता शर्मा और शिल्पी हांडा

'अनुभवात्मक अधिगम की प्रक्रिया में दो लक्ष्य होते हैं। एक है किसी विशेष विषय की बारीकियों को सीखना और दूसरा है अपने सीखने की प्रक्रिया के बारे में सीखना।'

डेविड ए. कोल्ब (David A Kolb)

अनुभवात्मक अधिगम का अर्थ है ऐसे प्रामाणिक उद्देश्य के साथ सीखना, जो ज्ञान, कौशल और चरित्र का विकास करने के लिए, बच्चों के स्थानीय सन्दर्भ से वास्तविक जीवन के अनुभवों का उपयोग एक शैक्षणिक माध्यम के रूप में करता है। वास्तविक और प्रासंगिक अनुभवों पर चर्चा करने से प्रत्येक बच्चे के लिए सीखना अधिक आकर्षक, सार्थक और व्यक्तिगत बन जाता है और यह समस्या-समाधान और निर्णय लेने जैसे महत्त्वपूर्ण कौशलों के विकास में मदद करता है।

अनुभवात्मक अधिगम अपने चार प्रमुख घटकों के माध्यम से, उच्च समीक्षात्मक चिन्तन और सहयोग कौशल प्राप्त करने के अवसर प्रदान करता है। डेविड ए. कोल्ब ने अनुभवात्मक अधिगम की अवधारणा विकसित की जो सीखने की प्रक्रिया को चार बुनियादी सैद्धान्तिक घटकों में विभाजित करती है :

- *ठोस अनुभव*, यानी ऐसा वातावरण प्रदान करना जहाँ बच्चा सभी संज्ञानात्मक आयामों का प्रयोग करते हुए किसी समस्या/स्थिति से जूझता है।

- *चिन्तनशील अवलोकन* बच्चे को अपने वर्तमान कार्य की और गहराई से पड़ताल करने और गम्भीरता से सीखने में मदद करता है।
- *अमूर्त अवधारणा* बच्चे को ज़रा हटकर सोचने, और सीखने के परिणामों को प्राप्त करने के लिए दूसरों के साथ सहयोग करने के लिए प्रेरित करती है। सार्थक अनुभवों के बाद चिन्तन और संवाद बच्चे को सोचने में मदद करते हैं।
- *सक्रिय प्रयोग* लक्ष्य, यानी वास्तविक और सार्थक समझ, के करीब होता है।

अधिकारों की अवधारणा का परिचय

भारतीय स्कूलों में लोकतंत्र की अवधारणा, भारत के संविधान और मौलिक अधिकारों से बच्चों का परिचय आमतौर पर मिडिल और सेकेण्डरी स्कूल में कराया जाता है। एनसीईआरटी की पाठ्यपुस्तकों में मौलिक अधिकारों का विषय, छठी कक्षा से क्रमश: शामिल किया जाता है। इस उम्र में इन अधिकारों की प्रकृति कुछ हद तक अमूर्त प्रतीत होती है। इसलिए इनका परिचय देने के लिए बड़े ध्यान से विभिन्न निरूपणों, विवरणों, राजनीतिक कार्टून आदि का प्रयोग किया जाता है। इन्हें और अधिक ठोस रूप में समझाने का एक अन्य तरीका है *बाल अधिकारों* से परिचय कराना। सीखने का इससे बेहतर तरीक़ा और क्या हो सकता है कि आप बच्चों को अनुभव करने दें और फिर वे उस पर चिन्तन करें!

द हेरिटेज स्कूल, गुड़गाँव, में सीखने और सिखाने के लिए अनुभवात्मक पद्धति का प्रयोग किया जाता है। हमने इस स्कूल में एक अभियान के माध्यम से शिक्षकों के रूप में काम किया और उस अनुभव को हम इस लेख के माध्यम से साझा कर रहे हैं।

बी द चेंज अभियान का विचार इसलिए आया ताकि सामाजिक विज्ञान की पाठ्यपुस्तक में दी गई अमूर्त अवधारणाओं को ठोस रूप दिया जा सके और विद्यार्थी उन्हें आसानी-से समझ सकें। शिक्षकों के एक समूह ने एनसीएफ 2005 और कॉमन कोर स्टैंडर्ड्स (संयुक्त राज्य अमेरिका) के अनुसार कक्षा VI और VII की सामाजिक विज्ञान की पाठ्यपुस्तकों की अवधारणाओं पर विचार-मन्थन किया। इस कार्य में हमारे ज्ञान-भागीदार, *दिशा इंडिया सेंटर फ़ॉर एक्सपीरिएंशियल*

लर्निंग ने रूपरेखा की संकल्पना करने में मदद की जैसे मुख्य विचारों, मूल अवधारणाओं और अभियान के मार्ग को तय करना।

सीखने का अभियान क्या है?

सीखने के अभियान अन्तर-अनुशासनात्मक होते हैं और इनका उद्देश्य होता है कि प्राकृतिक व सामाजिक विज्ञान, साक्षरता और संख्या ज्ञान की विषय-सामग्री और कौशलों को सर्वोत्तम सम्भव तरीकों से एकीकृत किया जाए। यह पद्धति शिक्षार्थियों को पाठ्यपुस्तक की पाठ्यचर्या के परे ले जाती है और उन्हें सतत नियोजन, क्रियान्वयन और चिन्तन के माध्यम से उत्कृष्टता तक पहुँचने के कई अवसर देती है। सीखने के सभी अभियान बच्चों को देखने, सोचने, चिन्तन करने, विश्लेषण करने, संश्लेषण करने और गहराई से समझने के लिए सशक्त बनाने का प्रयास करते हैं। विस्तृत जाँच-पड़ताल का उपयोग करते हुए, सीखने के ये अभियान विद्यार्थियों को समुदाय व फ़ील्ड में ले जाते हैं और विशेषज्ञों को उनकी कक्षाओं में लाते हैं ताकि वे वास्तविक जीवन के सीखने के अनुभवों के साथ विद्यार्थियों को जोड़ सकें।

अभियान को खोज से जोड़ना

खोज, शिक्षण की एक विधा है जो बच्चों को उनके घरों से परे वास्तविक दुनिया का अनुभव करने और सीखने का सही उद्देश्य खोजने के अवसर प्रदान करती है। बच्चे अपने स्थानीय इतिहास, प्राकृतिक विरासत, वनस्पति-जीव वर्ग, जनसांख्यिकी के साथ में सामाजिक, राजनीतिक, प्रशासनिक और आर्थिक व्यवस्थाओं की बनावट, खाकों और कामकाज तथा उनके अन्तर्सम्बन्धों का पता लगाते हैं। इससे उन्हें अपने स्थानीय समुदाय से बेहतर ढंग से जुड़ने और उसे समझने में मदद मिलती है, जिसके चलते वे अपने समुदाय की बेहतरी हेतु ज़िम्मेदारी लेने के लिए समर्थ और सशक्त हो पाते हैं।

यह समझना महत्त्वपूर्ण है कि इस तरह के प्रत्येक अभ्यास या अनुशंसा के केन्द्र में समावेशन के प्रति एक मज़बूत प्रतिबद्धता और यह विश्वास होता है कि हर कक्षा में और हर सन्दर्भ में बच्चों की क्षमताओं और रुचियों में व्यक्तिगत अन्तर होते ही हैं।

अभियान के चरण

मुख्य विचार : प्रत्येक अभियान का आधार विद्यार्थियों में विकसित होने वाली स्थायी समझ होती है जो आने वाले कई वर्षों तक उनके साथ रहती है।

मार्गदर्शक प्रश्न : ये प्रश्न मुख्य विचार पर ध्यान केन्द्रित करने और उसे प्राप्त करने में मदद करते हैं। मुख्य विचार से उत्पन्न ये मार्गदर्शक प्रश्न अभियान को दिशा प्रदान करते हैं और उसकी सीमा भी निर्धारित करते हैं।

हुक (hook) : सीखने के सभी अभियान बच्चों के स्थानीय सन्दर्भ से एक गहन अनुभव के साथ यात्रा शुरू करते हैं जो उनका ध्यान बाँधे रखता है और उनमें जिज्ञासा जगाता है और इन्हें आमतौर पर हुक कहा जाता है।

अभियान और खोज के माध्यम से सीखना

स्कूल की प्रत्येक कक्षा को एक वर्ष की अवधि के लिए दो विषयों की ज़िम्मेदारी दी जाती है। शिक्षकों को सामाजिक विज्ञान या विज्ञान के शिक्षक के रूप में नहीं बल्कि अभियान के शिक्षकों के रूप में देखा जाता है। 2013 में, (जब हमने वहाँ काम किया था) अभियान के लिए दो महत्त्वपूर्ण विषयों को लिया गया :

1. मानव शरीर – जिसमें विज्ञान विषय के सीखने के परिणामों पर ध्यान केन्द्रित किया गया।
2. स्वयं परिवर्तन के वाहक बनें या *बी द चेंज* – जिसमें सामाजिक विज्ञान विषय के सीखने के परिणामों पर ध्यान केन्द्रित किया गया।

चूँकि किसी भी तरह का सीखना पृथक रूप से नहीं हो सकता, इसलिए यह बेहद ज़रूरी है कि बच्चे चीज़ों को एक-दूसरे के सह-सम्बन्ध में देख सकें।

संविधान के मूल विचारों (विविधता, समानता, लोकतंत्र, अधिकार और कर्तव्य) को ध्यान में रखते हुए शिक्षकों ने मुख्य विचार और मार्गदर्शक प्रश्न तैयार किए। सबसे पहले, शिक्षकों ने बच्चों को अभियान के साथ बाँधने के लिए, उन्हें एक अलग सामाजिक-आर्थिक पृष्ठभूमि के बच्चों के बारे में एक वीडियो दिखाया। फिर हमने अख़बारों में छपे कुछ लेखों की बात की जो शहरी और ग्रामीण बच्चों, निराशा से गुज़र रहे परिवारों के बच्चों, माता-पिता के व्यक्तिगत अनुभवों, माता-पिता के साथ समय बिताने के बारे में बात करती एक बच्ची आदि के बारे में थे।

पृष्ठभूमि के ज्ञान का निर्माण

अभियान का अगला चरण था पृष्ठभूमि के ज्ञान का निर्माण या *बिल्डिंग बैकग्राउंड नॉलेज* (*बीबीके*) जो एक क्रमाचार (प्रोटोकॉल) है और जिसमें एक ऐसी महत्त्वपूर्ण चर्चा होती है जो बच्चों को अपने ज्ञान को बढ़ाने तथा अभियान के बारे में और अधिक जानकार बनने में मदद करती है। यह विद्यार्थियों को अपनी समझ को और गहरा करने के लिए पढ़ने, सोचने और प्रश्न उठाने में सक्षम बनाती है। *बीबीके*, अभियान को स्पष्ट करने और मुख्य विचार को गढ़ने में मदद करता है।

बच्चों के विशेष अधिकार इस प्रकार से हैं :

सुरक्षित वातावरण का अधिकार
भोजन का अधिकार
स्वास्थ्य सेवा का अधिकार
शिक्षा का अधिकार
बाल विवाह के ख़िलाफ अधिकार
स्वतंत्रता का अधिकार
भेदभाव से मुक्त होने का अधिकार
दुर्व्यवहार से सुरक्षा का अधिकार
शोषण और उपेक्षा से सुरक्षा का अधिकार
सुने जाने और स्वतंत्रता से भागीदारी करने का अधिकार
विश्राम और अवकाश का अधिकार
पारिवारिक जीवन का अधिकार

इस सन्दर्भ में, शिक्षकों ने अधिकार, कर्तव्य, भेदभाव, न्याय जैसे मुख्य शब्दों का अर्थ समझाने की कोशिश की और 'विविधता' व 'समानता' की अवधारणाओं के बारे में विद्यार्थियों की समझ को मज़बूत करने के लिए कई लेखों के पठन और समूह चर्चाओं का प्रयोग किया।

अभियान का मार्ग

लक्ष्य यह था कि मिडिल स्कूल के विद्यार्थियों को अधिकारों के बारे में सामान्य रूप से और बाल अधिकारों के बारे में विशेष रूप से बताया जाए, जैसा कि राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग (एनसीपीसीआर) द्वारा प्रस्तावित किया गया है। एनसीपीसीआर का अधिदेश यह सुनिश्चित करना है कि सभी कानून, नीतियाँ, कार्यक्रम और प्रशासनिक तंत्र भारत के संविधान और बाल अधिकारों पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन में प्रतिष्ठापित बाल अधिकारों के अनुरूप हों। कोई भी व्यक्ति जो 0-18 वर्ष के आयु वर्ग में आता हो, बच्चे के रूप में परिभाषित किया गया है।

विश्राम और अवकाश का अधिकार

मुख्य विचार से हम अधिकारों के विचार को ठोस बनाने की ओर बढ़े। इसके लिए हमने शिक्षार्थियों का परिचय बाल अधिकारों से करवाया। बारह बाल अधिकारों में से हमने 'विश्राम और अवकाश का अधिकार' पर ध्यान केन्द्रित किया। यूएनसीआरसी के अनुच्छेद 31 के अनुसार बच्चे को पर्याप्त विश्राम व अवकाश का, और अपनी उम्र के लिए उपयुक्त खेल व मनोरंजक गतिविधियों में शामिल होने का अधिकार है।

स्कूल में बाल अधिकारों के विषय पर गहराई से विचार किया गया और विद्यार्थियों ने यह पता लगाने के लिए, कि क्या वे किसी अधिकार से वंचित हैं, एक प्रश्नावली बनाई। डेटा एकत्र करने के लिए भी इसी प्रश्नावली का उपयोग किया गया। विद्यार्थियों ने अपने आस-पड़ोस में अन्य बच्चों के साक्षात्कार लिए और प्रमुख मुद्दों को खोजने के लिए डेटा का विश्लेषण किया। जब विद्यार्थी सक्रिय रूप से साक्षात्कार ले रहे थे, डेटा का व्यवस्थापन और विश्लेषण कर रहे थे, उसी समय कक्षा में वे ऐसे विभिन्न व्यक्तियों और समूहों के बारे में गहराई से पढ़ रहे थे जो प्रत्येक बच्चे को उन अधिकारों को दिलाने के काम में लगे हुए थे जिनके वे हक़दार हैं।

ज़रूरतें और अधिकार

पहली गतिविधि का आयोजन अधिकार और आवश्यकता के बीच के अन्तर को समझने के लिए किया गया। इसे यूनिसेफ की टूलकिट, डायवर्शन एंड ऑल्टरनेटिव्स टू डिटेंशन 2009; गतिविधि 27 : पानी का गिलास, से लिया गया था। इसका उद्देश्य था अधिकारों के बारे में प्रतिभागियों की मौजूदा समझ को उजागर करना और ज़रूरतों व अधिकारों के बीच के महत्त्वपूर्ण अन्तरों को स्पष्ट करना।

इन दो कथनों में क्या अन्तर है : 'मुझे एक गिलास पानी की *ज़रूरत* है' और 'मुझे एक गिलास पानी का *अधिकार* है।' कौन-सा ज़्यादा वज़नदार है? क्यों? इस गतिविधि के माध्यम से विद्यार्थियों ने देखा कि ज़रूरतों और अधिकारों के बीच मुख्य अन्तर अधिकारों का दावा करने वाले व्यक्ति (अधिकार-धारक) और उन अधिकारों को सुनिश्चित करने के लिए ज़िम्मेदार व्यक्ति (कर्तव्य-धारक) के बीच का सम्बन्ध है।

बज्जू गाँव की यात्रा का कार्यक्रम

उरमूल (ग्रामीण स्वास्थ्य, अनुसन्धान एवं विकास) ट्रस्ट, बीकानेर के सहयोग से यात्रा के एक कार्यक्रम (खोज) का आयोजन किया गया। यह ट्रस्ट समाज में बच्चों की स्थिति को मज़बूत करने की दिशा में काम कर रहा है। यह रेगिस्तान में अवसरों को मज़बूत करने और बच्चों के जीवन को सुनिश्चित करने के लिए समुदायों, स्थानीय अधिकारियों तथा नीति-निर्माताओं के साथ भी व्यवस्थित रूप से काम करता है। यह बाल अधिकारों की वकालत में भी संलग्न है और *चाइल्डलाइन 1098* चलाता है। हम गाँव के एक सरकारी स्कूल के विद्यार्थियों के साथ काम करना चाहते थे तथा बाल अधिकारों और विशेष रूप से *विश्राम और अवकाश के अधिकार* के प्रति उनकी जागरूकता को समझना चाहते थे।

बज्जू गाँव की यात्रा के कार्यक्रम को इस तरह से रचा और संकल्पित किया गया था कि हम दो अलग-अलग सन्दर्भों में एक ही अधिकार की समझ विकसित कर सकें।

बीकानेर के बज्जू गाँव के एक सरकारी स्कूल का चयन किया गया और डेटा एकत्र करने और उसका विश्लेषण करने के लिए बज्जू शासकीय शाला के विद्यार्थियों ने वही प्रक्रिया अपनाई जो हेरिटेज स्कूल में अपनाई गई थी।

इस समय तक सभी युवा मन विभिन्न प्रश्नों से भर गए थे और उनकी उत्सुकता बढ़ती ही जा रही थी, कि तभी हमारी बहुप्रतीक्षित पाँच दिवसीय सीखने की यात्रा, *खोज,* पर निकलने का समय आ गया। हेरिटेज स्कूल के विद्यार्थियों और शिक्षकों ने बज्जू गाँव तक की यात्रा ट्रेन से की और उन्हें उरमूल गेस्ट हाउस में ठहराया गया।

हेरिटेज स्कूल के विद्यार्थियों और शिक्षकों के लिए सरकारी स्कूल, बज्जू के विद्यार्थियों के साथ मिलकर काम करना बिल्कुल अलग अनुभव था। छोटे समूहों में एक साथ एक दिन बिताने और शुरुआती झिझक तोड़ने वाले खेल खेलने के बाद उनके आपसी सम्बन्ध विकसित होने लगे। हमें बच्चों से जो डेटा प्राप्त हुआ, वह बालिकाओं के सन्दर्भ में काफी भिन्न था। इससे यह संकेत मिला कि गाँव में बालिकाओं को खेलने

के लिए समय नहीं मिलता था, क्योंकि उन्हें घर के काम करने होते थे और गुड़गाँव शहर में लड़कियों की सबसे बड़ी समस्या सुरक्षा की थी।

बच्चे शाम को रेत के टीलों पर बैठकर सूर्यास्त का दृश्य देखते और इस बात पर चिन्तन करते कि शहर में बच्चों का जीवन गाँव के उसी उम्र के बच्चों के जीवन से कैसे अलग है। गहरी बातचीत और विचारशील भाव कभी-कभी दर्दनाक भी रहे और कई लोगों की आँखें भर आईं। और इस मोड़ पर आकर हमने अपने अगले मूल विचार - सक्रिय और जागरूक नागरिक – को आगे बढ़ाया। हमारे विद्यार्थियों ने फ़ैसला किया कि वे लोगों को बाल अधिकारों के बारे में जागरूक करेंगे और फिर वे झटपट अपनी कार्यवाही, यानी अन्तिम उपलब्धि, की तैयारी में लग गए।

अभियान की अन्तिम उपलब्धि

विद्यार्थियों के निर्णय के अनुसार, अभियान के अन्त में बाल अधिकारों पर एक *नुक्कड़ नाटक* प्रस्तुत किया गया। हमारे साथ थिएटर से सम्बन्धित दो लोग थे। नाटक की विषयवस्तु, संवाद और पटकथा विद्यार्थियों को इनके साथ मिलकर तैयार करने थे, जब-जब उनकी आपस में बातचीत हो पाए। इसलिए हम प्रतिदिन बाल अधिकारों के बारे में जागरूकता पर काम करते, विशेष रूप से, खेलने के अधिकार पर, और इसके लिए हम ऐसी स्थितियाँ बनाते जिनके इर्द-गिर्द वे एक पटकथा तैयार कर सकें।

दो दिन के बाद यह निर्णय लिया गया कि बज्जू स्कूल के विद्यार्थी उरमूल परिसर में पूर्वाभ्यास के लिए आ सकते हैं। प्रतिदिन नाटक का काम आगे बढ़ता गया तथा संवाद, पटकथा और अभिनेता अपने अन्तिम रूप में आते गए। आखिरी दिन दोनों स्कूल के विद्यार्थियों ने *'बाल अधिकार'* नाटक प्रस्तुत किया।

गुड़गाँव लौटने के बाद, हेरिटेज स्कूल के विद्यार्थियों ने अँग्रेज़ी में *'द पावर विदिन मी'* और हिन्दी में *'बाल अधिकारों की खोज'* विषयों पर नियत लिखित कार्य किए। इन्हें लिखने के कई दौर चले। एक चेकलिस्ट प्रदान की गई थी जिसके आधार पर स्वयं और साथियों द्वारा इनका आकलन किया गया। गुड़गाँव की सड़कों पर नाटक के प्रदर्शन के बाद, विद्यार्थियों को सीखने के लक्ष्यों के आधार पर स्व-आकलन करने के लिए कहा गया। इस पूरे अभियान के दौरान, एक चेकलिस्ट और निर्देशों/नियमों की एक सूची की मदद से बने सीखने के लक्ष्यों ने हमें शिक्षार्थियों को कार्य में लगाए रखने और सफलता के साथ *बी द चेंज* अभियान को पूरा करने में मदद की।

इस अभियान का एक अन्य आकर्षण लीला सेठ के साथ स्कूल में आयोजित एक मुलाकात थी। लीला सेठ (Leila

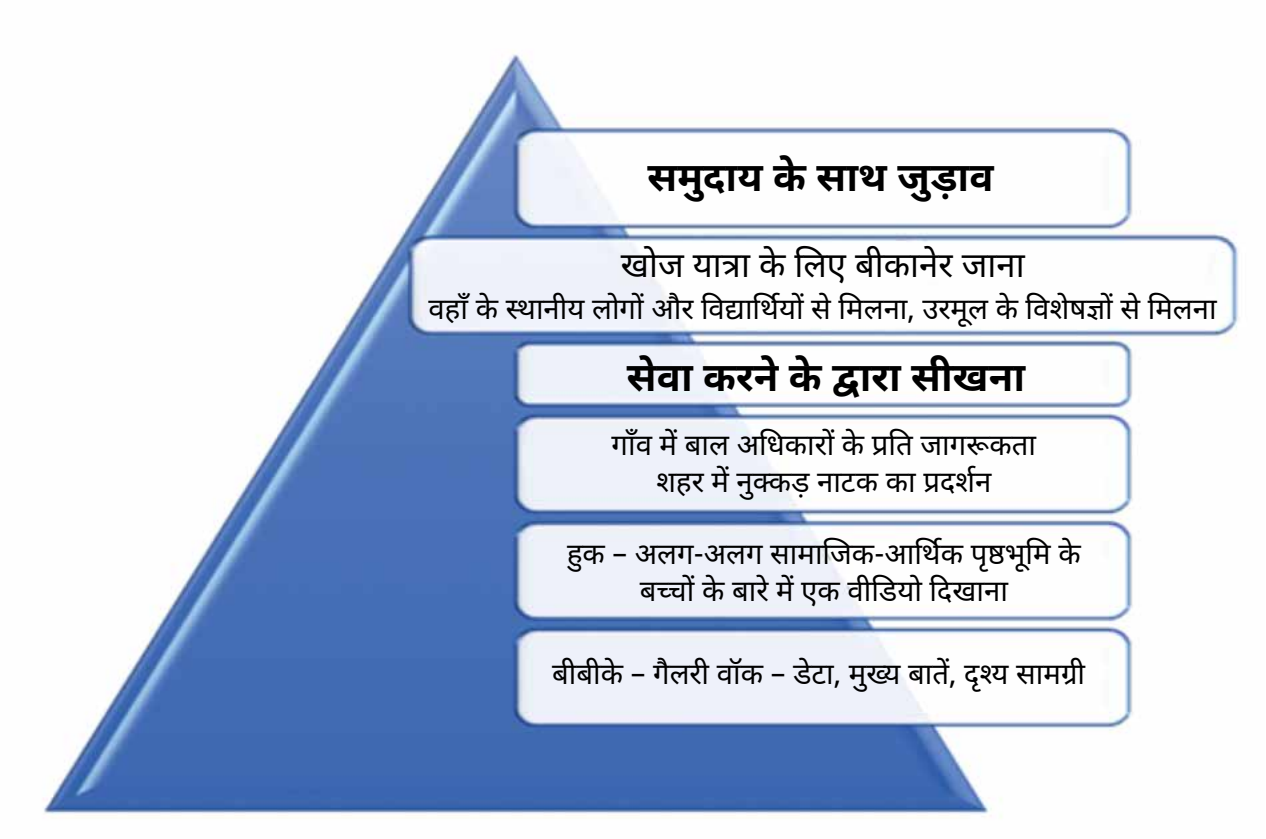

Seth, 1930-2017) दिल्ली उच्च न्यायालय की पहली महिला न्यायाधीश और किसी राज्य के उच्च न्यायालय की मुख्य न्यायाधीश बनने वाली पहली महिला थीं; उन्होंने *वी द चिल्ड्रन* नामक पुस्तक भी लिखी जो बच्चों को भारत के संविधान से परिचित कराती है।

निष्कर्ष

यह अभियान हम शिक्षकों के दिल के बहुत क़रीब है क्योंकि इस पूरे क्रम में हम यह देख पाए कि युवा दिमाग़ कैसे जानकारी प्राप्त कर रहे थे और परिवर्तन लाने के साझा लक्ष्य की दिशा में एक-दूसरे के साथ कैसे सहयोग कर रहे थे। वैसे तो यह माना जाता है कि बच्चों के लिए अधिकार, लोकतंत्र और समानता जैसी अवधारणाओं को समझाना मुश्किल होता है, लेकिन उनके गहरे चिन्तन ने हमारे इस विश्वास को मज़बूत किया कि भली-भाँति तैयार की गई शैक्षणिक कार्यनीतियों और गतिविधियों के द्वारा इन बातों को भी उन्हें स्पष्ट रूप से समझाया जा सकता है। पूरे अभियान के दौरान शिक्षकों के रूप में हमारी भूमिका यही थी कि हम उनकी सोच को आगे बढ़ाने और उन्हें सक्रिय व सुविज्ञ नागरिक बनने की क्रियाशीलता की ओर प्रेरित करें।

सीखने के लक्ष्य

सामाजिक विज्ञान	● मैं उदाहरणों का उपयोग करके विविधता, भेदभाव और असमानता के बीच अन्तर कर सकती/सकता हूँ। ● मैं इस बात का मूल्यांकन कर सकती/सकता हूँ कि पूर्वाग्रह, मेरे आसपास मौजूद असमानता में कैसे योगदान देता है। ● मैं लोकतंत्र के कामकाज को प्रभावित करने वाले प्रमुख तत्वों की पहचान कर सकती/सकता हूँ। ● मैं इस बात का औचित्य सिद्ध कर सकती/सकता हूँ कि एक शासनतंत्र के रूप में लोकतंत्र, समाज में समानता, गरिमा और न्याय सुनिश्चित करने के लिए किस तरह अनुकूल है। ● मैं संविधान के ऐसे विशिष्ट अंशों का उल्लेख कर सकती/सकता हूँ जो सभी के लिए समानता और न्याय सुनिश्चित करते हैं। ● मैं अपने आस-पास के वास्तविक जीवन में हो रहे भेदभाव के उदाहरणों का विश्लेषण करने के लिए संविधान के विशिष्ट अंशों को चुन सकती/सकता हूँ। ● मैं अपने समुदाय में लोकतांत्रिक प्रक्रिया के क्रियान्वयन का मूल्यांकन कर सकती/सकता हूँ। ● मैं अपने आस-पास के समाज में मौजूद लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं की पड़ताल करने वाले, और उनके गहरे विश्लेषण में मदद करने वाले महत्त्वपूर्ण प्रश्न उठा सकती/सकता हूँ।
पढ़ना	● मैं किसी पाठ्यसामग्री को समझने के लिए समझने-बूझने की युक्तियों का उपयोग कर सकती/सकता हूँ। ● मैं दिए गए पाठ से आवश्यक जानकारी निकालने के लिए ध्यानपूर्वक पढ़ने की कार्यनीतियों का उपयोग कर सकती/सकता हूँ।
लिखना	● मैं विश्लेषण, चिन्तन और शोध का समर्थन करने के लिए विभिन्न पाठ्यसामग्रियों से साक्ष्य प्राप्त कर सकती/सकता हूँ और उसे आवश्यक प्रारूप में प्रस्तुत कर सकती/सकता हूँ।
बोलना	● मैं निर्धारित प्रारूप का पालन करते हुए अपनी समझ को आत्मविश्वास के साथ, स्पष्ट और व्यवस्थित तरीके से प्रस्तुत कर सकती/सकता हूँ।
समीक्षात्मक रूप से सोचना	● मैं ऐसे महत्त्वपूर्ण प्रश्न उठा सकती/सकता हूँ जो समाज में मौजूद लोकतांत्रिक प्रक्रिया के गहरे विश्लेषण में सहायक होते हैं और उसे प्रमाणित करते हैं।
चरित्र और संस्कृति	● मैं अपने काम को बेहतर बनाने के लिए रचनात्मक फीडबैक माँग सकती/सकता हूँ और दूसरों के काम को बेहतर बनाने के लिए रचनात्मक फीडबैक दे सकती/सकता हूँ। ● मैं अपने समूह के सभी सदस्यों को भाग लेने के समान अवसर देकर समावेशी हो सकती/सकता हूँ। ● मैं अपनी बात कहने वाले व्यक्ति की बातें ध्यान से सुनकर सम्मान प्रदर्शित कर सकती/सकता हूँ।
दृश्य एवं रंग कलाएँ	● मैं अपने इलाके के लिए अभियान चलाने हेतु नुक्कड़ नाटक का उपयोग एक माध्यम के रूप में कर सकती/सकता हूँ।

शिल्पी हांडा बच्चों के सामाजिक-भावनात्मक विकास में गहरी रुचि रखने वाली एक उत्साही शिक्षिका हैं। वे 12 वर्षों से *हेरिटेज एक्सपीरिएंशियल लर्निंग स्कूल*, गुड़गाँव के साथ मिडिल प्रोग्राम पाठ्यचर्या के लिए एक अनुदेशक नेतृत्वकर्ता के रूप में जुड़ी हुई हैं। उन्होंने एक प्रशिक्षक के रूप में काम करते हुए शिक्षकों को प्रशिक्षण भी दिया है। उन्होंने रसायनविज्ञान में विशेषज्ञता के साथ दिल्ली विश्वविद्यालय से विज्ञान विषय में स्नातक की उपाधि प्राप्त की है। वर्तमान में वे स्वीडन के एक स्कूल में कार्यरत हैं। उनसे shilpi.nischal@gmail.com पर सम्पर्क किया जा सकता है।

रोनिता शर्मा अज़ीम प्रेमजी यूनिवर्सिटी में संकाय सदस्य हैं। वे *स्कूल फॉर कंटीन्यूइंग एजुकेशन*, बेंगलूरु में *इंस्टिट्यूट ऑफ असेसमेंट एंड अक्रेडिटेशन* के साथ काम करती हैं। इससे पहले वे उच्च-प्राथमिक, माध्यमिक और उच्चतर माध्यमिक कक्षाओं में सामाजिक विज्ञान पढ़ा चुकी हैं। उनसे ronita.sharma@azimpremjifoundation.org पर सम्पर्क किया जा सकता है। **अनुवाद :** नलिनी रावल